भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5517

जिसका उत्तर 03.04.2025 को दिया जाना है

वाहन स्क्रैपिंग

5517. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार पारंपरिक स्क्रैप डीलरों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) प्रणाली में एकीकृत करने की किस तरह से योजना बना रही है, ताकि उनकी भागीदारी और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, यह देखते हुए कि पारंपरिक स्क्रैप डीलरों का मौजूदा नेटवर्क श्रम-गहन तरीके से संचालित होता है, जबकि आरवीएसएफ ढांचा अधिक प्रौद्योगिकी-संचालित है;

(ख) क्या स्क्रैप श्रमिकों को नई प्रणाली अपनाने में सहायता करने के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम, वित्तीय प्रोत्साहन अथवा कौशल विकास के लिए पहल की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नए वाहन खरीद प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिए परम्परागत स्क्रैपिंग डीलरों को वैध स्क्रैपिंग प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अधिकृत करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) सरकार अवैध अथवा अपंजीकृत वाहनों को स्क्रैप करने से रोकते हुए स्क्रैप संग्रहण को किस प्रकार विनियमित और मानकीकृत करने की योजना बना रही है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार छोटे स्क्रैप डीलरों के लिए अवसंरचना विकास में सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों अथवा निजी कंपनियों के साथ सहयोग करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) अनियमित स्क्रैपिंग से पर्यावरणीय खतरों को रोकने और अपशिष्ट निपटान मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ख) (i) वाहन स्क्रैपिंग नीति का उद्देश्य वैज्ञानिक स्क्रैपिंग प्रक्रिया के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल तरीके से पुराने और अनुपयुक्त वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। इस संबंध में, सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर यान (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य-प्रणाली) नियमावली, 2021 को सा.का.नि. 653(अ) दिनांक 23.09.2021 (सा.का.नि. 695(अ) दिनांक 13.09.2022 और सा.का.नि. 212(अ) दिनांक 15.03.2024 के माध्यम से आगे संशोधित) के माध्यम से अधिसूचित किया है।

(ii) ये नियम असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक स्क्रैपिंग परि-तंत्र के साथ एकीकृत करने का प्रावधान करते हैं। इसके अतिरिक्त, इन नियमों के नियम 13 के उप-नियम 12 में यह प्रावधान है कि

पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) स्क्रैपिंग यार्ड के अलावा किसी अन्य स्थान पर कोई संग्रहण केंद्र स्थापित कर सकती है और यदि संग्रहण केंद्र प्रदूषण निवारण और विघटन जैसी गतिविधियां करता है, तो पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के लिए लागू अपेक्षाएं ऐसे संग्रहण केंद्र पर भी लागू होंगी।

(ग) मोटर यान (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियमावली, 2021 के नियम 3 के अनुसार, जमा प्रमाणपत्र (सीडी) का तात्पर्य पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र है जो पंजीकृत मालिक से आगे की कार्रवाई के लिए उक्त आरवीएसएफ को वाहन जमा करने को मान्यता देता है और वाहन स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र (सीवीएस) का तात्पर्य किसी वाहन के अंतिम निपटान को मान्यता देने के लिए आरवीएसएफ द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र है। सीडी और सीवीएस केवल आरवीएसएफ द्वारा ही जारी किए जा सकते हैं।

(घ) अवैध या अपंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग को रोकने के लिए, मोटर यान (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियमावली, 2021 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

(i) नियम 9 के तहत, पंजीकरण प्राधिकरण को आरवीएसएफ के निरीक्षण के लिए विधिवत अधिकृत किया गया है। पंजीकरण प्राधिकरण उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद गैर-अनुपालन के मामले में सुविधा के लाइसेंस को रद्द या निलंबित करने का आदेश दे सकता है।

(ii) नियम 11 में प्रावधान है कि आरवीएसएफ, आवश्यक कार्रवाई गतिविधि पूरी करने के बाद, वाहन डेटाबेस को अपडेट करने के लिए वाहन स्क्रैपिंग का एक डिजिटल प्रमाणपत्र जारी करेगा और वाहन के रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा।

(iii) नियम 14 केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 126 के तहत विनिर्दिष्ट किसी भी एजेंसी द्वारा आरवीएसएफ का समय पर लेखापरीक्षा/संपरीक्षा (ऑडिट) अनिवार्य करता है।

(ङ) निवेशकों को व्यावसायिक अवसर दिखाने के लिए, विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग से निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार बैठकें, परामर्श आदि आयोजित करके निवेशकों को आरवीएसएफ की स्थापना के लिए आवश्यक सहायता भी प्रदान करता है।

(च) मोटर यान (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियमावली, 2021 के नियम 10 के उप-नियम (xix) के अनुसार, पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा यह सुनिश्चित करेगी कि स्क्रैप किए गए वाहन के जोखिम वाले भागों को हटाने या पुनर्चक्रण या निपटान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों के पर्यावरण की दृष्टि से ठोस प्रबंधन और एआईएस-129 के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाए।

*****